भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3104
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा

†3104. डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) और अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) प्रदान किए गए गांवों और परिवारों का ग्राम-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन और अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही पूर्ण, चल रही और विलंबित जल आपूर्ति परियोजाओं की संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जल आपूर्ति योजनाओं के स्वीकृत होने के बावजूद निर्वाचन क्षेत्र के कई दूरदराज के आदिवासी और वन ग्रामों में अनियमित पेयजल आपूर्ति, मौसमी कमी, पानी की खराब गुणवत्ता और रखरखाव से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): पेयजल 'राज्य' का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता

प्रदान करके राज्यों की मदद करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) के विस्तार और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महाराष्ट्र राज्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत के समय में, केवल 48.43 लाख (33.00%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। आज की तारीख तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, राज्य के 146.77 लाख ग्रामीण परिवारों में से 132.93 लाख (90.58%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है (स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस)।

राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिला	कुल परिवार	कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी)	% कवरेज
1	गढ़चिरौली	242119	224503	92.72
2	चंद्रपुर	154143	139827	90.71
3	गोंदिया	78638	62352	79.29
कुल		474900	426682	89.85

नल कनेक्शन का जिला/ग्राम-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx

जेजेएम के तहत केंद्रीय निधि आवंटन, जारी की गई निधि और महाराष्ट्र में संसूचित व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**केंद्रीय निधि**			**राज्य हिस्से के तहत व्यय**
	आवंटन	**आहरित निधि**	**व्यय**	
2019-20	847.97	345.28	308.04	431.79

2020-21	1,828.92	457.23	473.59	324.56
2021-22	7,064.41	1,666.64	377.98	477.98
2022-23	7,831.25	3,915.62	3,109.53	2,972.21
2023-24	21,465.88	7,444.26	8,208.53	8,371.34
2024-25	5,352.93	1,605.88	2,235.12	3,150.59
2025-26	आवंटित नहीं	12.74	3.00	2647.96

(स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस)

जिला-वार निधि आबंटन और जारी की गई निधि का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.08.2026 तक गढ़चिरौली-चिमूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जेजेएम के तहत परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

i) जिला परिषद द्वारा कार्यान्वित परियोजना विवरण

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित योजनाएं	पूर्ण योजनाएं	प्रगतिशील/विलंबित योजनाएं
1	गढ़चिरौली	3647	3482	165
2	चंद्रपुर	639	342	297
3	गोंदिया	880	504	376
कुल		5166	4328	838

ii) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित परियोजना विवरण

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित योजनाएं	पूर्ण योजनाएं	प्रगतिशील/विलंबित योजनाएं
1	गढ़चिरौली	3	3	0
2	चंद्रपुर	7	4	3
3	गोंदिया	1	1	0
कुल		11	8	3

जल जीवन मिशन जनजातिय क्षेत्रों में दूरस्थ अवस्थित ग्रामीण परिवारों सहित सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाता है। जल जीवन मिशन के

तहत 'कोई भी वंचित न रहे' के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, देश के सभी एससी/एसटी ग्रामीण परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, रेगिस्तानी और सूखा प्रवण क्षेत्रों, एससी/एसटी गांवों, आकांक्षी तथा जेई-एईएस प्रभावित जिलों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवों आदि में नल जल की आपूर्ति के प्रावधान को प्राथमिकता दी जाती है।

इसके अलावा, जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, मिशन में विशेष रूप से जल की कमी, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में थोक जल अंतरण, शोधन और संवितरण अवसंरचना के सृजन के साथ-साथ पेयजल स्रोतों के विकास, सुदृढ़ीकरण और संवर्धन का प्रावधान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे वीबी जी राम जी पूर्ववर्ती मनरेगा, वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, राज्य स्कीमों और सीएसआर पहलों जैसे कार्यक्रमों के तालमेल के माध्यम से वर्षा जल संचयन, पुनर्भरण संरचनाओं, जल निकायों के कायाकल्प और ग्रेवाटर के पुन: उपयोग जैसे स्रोत स्थिरता उपाय करें। इन प्रयासों में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन, जल संचय जनभागीदारी, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम और अटल भूजल योजना सहित राष्ट्रीय पहलों द्वारा सहायता की गई है।

संदूषकों के नियमित परीक्षण सहित परिवारों को आपूर्तित पाइपगत जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:

i. जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को अपनाया जाता है।

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल की गुणवत्ता के लिए जल के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्लूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

iii. कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) संबंधी गतिविधियों हेतु जेजेएम निधियों का उपयोग

कर सकते हैं। इन गतिविधियों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखने, फिल्ड टेस्ट किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी रखना, जागरूकता लाना, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता, आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन की खामियों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:

i) **जल अर्पण दिवस का आयोजन -** समुदाय को योजना को पारदर्शी तरीके से सौंपने के लिए आयोजन, जिसमें स्थानीय सांसदों और विधायकों को आमंत्रित किया जाना अपेक्षित है।

ii) **जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू)** का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और गांवों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और सहायता प्रदान की जा सके।

iii) **जल सेवा आकलन** सभी गांवों के लिए पंचायत द्वारा किया जाएगा। **जिला तकनीकी इकाई** (डीटीयू) द्वारा मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और डीडब्ल्यूएसएम द्वारा की उन पर कार्रवाई की जाएगी।

iv) **सुजलाम भारत डेटाबेस** का उपयोग जेजेएम आईएमआईएस, पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की सूचना देने के लिए किया जाएगा।

v) **ओ एंड एम नीति को अंतिम रूप देना** - राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार राज्य ओ एंड एम नीति की अधिसूचना के कार्य में तेजी लाना।

vi) **तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए)** - जिला प्रशासनिक प्राधिकारियों की भागीदारी के साथ जेजेएम के अंतर्गत सभी कार्यों के निरीक्षण हेतु।

vii) **स्रोत और परिसंपत्ति संरक्षण परामर्शी पत्र** जिला स्तर पर जारी करना ताकि पाइपलाइनों, जलाशयों और पंप हाउसों सहित जल स्रोतों तथा जेजेएम परिसंपत्तियों की संरक्षा की जा सके।
